

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-Section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 93] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1980/चैत्र 13, 1902

No. 93] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 1980/CHAITRA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1980

सा. का. नि. 195(अ)/आव./वस्तु/चीनी :—केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1968 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 698(अ)/आव. वस्तु/चीनी, तारीख 17 दिसम्बर, 1979 को अधिक्रान्त करते हुए यह निदेश देती है कि चीनी का कोई भी ऐसा उत्पादक, जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वह लेबी चीनी का प्रदाय, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या

किसी ऐसी सरकार या प्रशासक के नाम निर्देशिती को करे, ऐसे सरकार या ऐसे प्रशासक या नाम निर्देशिती से, उस दशा में जिसमें कि परंपण रेल से भेजा जाना अपेक्षित है, ऐसा परंपण भेजने से पूर्व जिसमें धन के तौर पर 20 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की राशि न तो मांगेगा और न प्राप्त करेगा ।

[सं. 1-12/78-एस. पी. बाई. (डेस्क 2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1980

G.S.R. 195(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 698(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 17th December, 1979, the Central Government hereby directs that no producer of sugar, who is required under the directions issued by the Central Government to supply levy sugar to a State Government or an Administrator of a Union Territory or a nominee of any such Government or Administrator, shall demand or receive from such Government, Administrator or nominee, any amount in excess of Rs. 20.00 per quintal by way of advance prior to the despatch of the consignment where such consignment is required to be despatched by rail.

[No. 1-12/78-SPY(DESK-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.